कृषि अनुसंधान केन्द्र
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर)
नौगावां, अलवर–301025 (राजस्थान)

ई–मेलः zdr.navgaon@sknau.ac.in
दूरभाषः 01468-296600
मोबाइल नं.: 9413231557

डॉ. गोपाल लाल चौधरी
क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान)

क्रमांकः एफ.(प्रक्षेत्र भंडार)/कृ.अनु.के.नौगावां/2024–25/**240** दिनांकः **30.09.2024**

सीमित निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां के लिए कृषि उपकरण/मशीनरी एवं टायर आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र मे दिनांकः 07.10.2024 को प्रातः 11:30 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस में दिनांकः **07.10.2024 को प्रातः 11:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते है अथवा www.sknau.ac.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांकः **07.10.2024 को प्रातः 11:30 बजे तक जमा होगें।** प्राप्त निविदाऐं उसी दिन **दोपहर 02.30 बजे** केन्द्र की निविदा एवं क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र.सं.	आवश्यक उपकरण/मशीनरी/सामग्री का विवरण	आवश्यक संख्या
1.	डिस्क हैरो (16 तवा)	01
2.	कल्टीवेटर (11 हल)	01
3.	सीड–कम–फर्टीलाइजर ड्रिल मशीन (11 हल)	01
4.	हस्त चालित चेन पुली स्टैंड के साथ	01
5.	ट्रेक्टर ट्रॉली टायर–टयूब	एक जोड़ी

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान प्रभारी सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर अनुरोध है कि उक्त निविदा सूचना को विश्वविद्यालय पोर्टल www.sknau.ac.in पर प्रकाशित करने का श्रम करावें।
4. समस्त निविदा समिति सदस्य ..... कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर।
5. प्रक्षेत्र प्रभारी/प्रक्षेत्र प्रबंधक/भंडारपाल/लेखा शाखा/स्थापना शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां, अलवर।
6. सूचना पट्ट कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र, नौगावां, पंचायत समिति/तहसील कार्यालय, नौगावां/रामगढ़, ग्राम पंचायत, नौगावां, बीजवा एवं मोहम्मदपुर।
7. रखित/निविदा पत्रावली।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

निविदा की शर्तें

1. सफल निविदादाता को दिए गए तकनिकी मापदण्डो के अनुसार सभी कृषि उपकरणों/मशीनरी/टायर–टयूब की **आपूर्ति कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा (अलवर)–301025 पर आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 15 दिन के भीतर** करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को आपूर्ति पश्चात सभी उपकरणों की सम्पूर्ण तकनिकी जानकारी तथा उनका संचालन एवं रखरखाव की जानकारी देनी होगी।
3. आपूर्ति किये जाने वाले सभी कृषि उपकरण/मशीनरी/सामान उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है।
4. निविदादाता को समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ निविदा को सीलबंद लिफाफे में बंद करके तथा लिफाफे के उपर **"कृषि उपकरण/मशीनरी एवं टायर आपूर्ति हेतु निविदा"** लिखकर व अपना पूर्ण विवरण मय नाम एवं पता लिखकर कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां के कार्यालय में **दिनांक 07.10.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक आव□यक रूप से जमा करना होगा।**
5. अपूर्ण एवं निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जायेंगा।
6. निविदा में किसी प्रकार की काँट छाँट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेंगी।
7. निविदादाता निविदा तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। आपूर्ति आदेश के उपरान्त निर्धारित तकनिकी मापदण्डो के अनुसार सामग्री आपूर्ति पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) का होगा।
10. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई दरों में अगर समानता होती है तो निविदा समिति, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
11. प्राप्त निविदाएं दिनांकः **07.10.2024** को **दोपहर 2:30** बजे केन्द्र की निविदा समिति द्वारा खोली जायेंगी।
12. सामान आपूर्ति के साथ बिल क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां (अलवर) के नाम प्रस्तुत करना होगा। निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये गए सभी कृषि उपकरणों/मशीनरी/सामानों का उपापन समिति द्वारा तकनिकी मापदण्डों के अनुसार सही पाए जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। बिल का भुगतान कोष कार्यालय से बिल पास होने के उपरांत किया जायेगा।
13. निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा** जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।
14. निविदा की अन्य शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।
15. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी।

16. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – निविदा समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

17. **सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,** –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

18. **हित का विरोध** –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदिः–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

19. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

(क) अपीलः– (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देषों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य

अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्षित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

(ख) अपील का प्रारूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(ग) अपील फाइल करने के लिए फीस –

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(घ) अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

20. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

तकनिकी मापदण्ड

S. No.	Name of machine/ material	Technical specifications	Qty.
1.	Disc Harrow	➢ Type: Tractor mounted offset type disc harrow ➢ No. of gangs: 2 & No. of discs in each gang: 8 ➢ Type of discs: Plain in both gangs ➢ Diameter of disc: Min. 550 mm & Thickness of disc: Min. 5 mm ➢ Material of disc: High carbon steel ➢ Minimum weight of the harrow: 420 kg	01
2.	Cultivator	➢ Type: Tractor mounted ➢ Frame to be made from 75 mm × 10 mm angle ➢ Working width: Min. 2400 mm ➢ No. of tines: 11 ➢ Type of tines: Spring loaded, spring size: 11 mm (minimum) ➢ Row spacing: Adjustable ➢ Minimum weight of the cultivator: 290 kg	01
3.	Seed-cum-fertilizer drill machine	➢ Type: Tractor mounted ➢ Front wheel type ➢ Frame to be made from 65 mm × 8 mm angle ➢ Working width: Min. 2200 mm ➢ No. of tines: 11 ➢ Type of furrow openers: Reversible shovel type ➢ Row spacing: Adjustable ➢ Seed agitator: Rubber washer ➢ Seed/Fertilizer hopper sheet thickness: Min. 2.0 mm ➢ Seed and fertilizer box capacity: Approx. 60-70 kg each ➢ Minimum weight of the machine: 230 kg	01
4.	Hand operated chain pulley with stand	➢ Made of good quality iron ➢ 36 mm main shaft with auto locking system ➢ Size of the pipe used in legs: 2.5 inch ➢ Hight of the pipes: 13 feet (minimum) ➢ No. of legs: 04 ➢ Minimum weight: 85 kg	01
5.	Tractor trolley tyre with tube	➢ Tyres and tubes must be of reputed brand ➢ Size of the tyre and tube: 9.00-16, 16 ply	01 pair

*Warranty: All implements/machines should be supplied with at least 1 year warranty.

मै/मेरी फर्म ..... हमारे यहां उपलब्ध उपकरण/मशीनरी/सामान के उक्त समस्त तकनिकी मापदण्ड पूर्ण करने हेतु बाध्य रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगावां

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा पर कृषि उपकरण/मशीनरी एवं टायर आपूर्ति हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम : .....
2. पता : .....
   .....
3. मोबाइल नंबर : .....
4. फर्म का जी.एस.टी. नंबर : .....
5. पैन नंबर : .....

क्र. स.	उपकरण/मशीनरी/सामान का नाम	दर प्रति नग (₹)	जी.एस.टी. दर (₹)	कुल दर प्रति नग सभी करों सहित (₹)
1	डिस्क हैरो (16 तवा)			
2	कल्टीवेटर (11 हल)			
3	सीड–कम–फर्टीलाइजर ड्रिल मशीन (11 हल)			
4	हस्त चालित चेन पुली स्टैंड के साथ			
5	ट्रेक्टर ट्रॉली टायर–टयूब			

नोटः– (1) निविदादाता अपने फर्म के जी.एस.टी. प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें।

(2) निविदादाता अपने फर्म के लेटर हेड पर भी दरें प्रस्तुत कर सकता है परन्तु संपूर्ण विवरण भरकर इस निविदा प्रपत्र को भी साथ में संलग्न करें।

मैंने निविदा की समस्त शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं समस्त शर्तों के अनुसार उपरोक्त दरों पर कृषि उपकरण/मशीनरी एवं टायर आपूर्ति करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

दिनांकः **निविदादाता के हस्ताक्षर**